



प्रीलमिस फैक्ट्स: 25 जनवरी, 2020

- [राष्ट्रीय मतदाता दविस](#)
- [आयकर अपीलीय अधकिरण](#)
- [एसटीईएम- वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणति](#)

राष्ट्रीय मतदाता दविस National Voters' Day

25 जनवरी, 2020 को 10वाँ राष्ट्रीय मतदाता दविस (National Voters' Day-NVD) देश भर में मनाया गया ।

थीम: 10वाँ राष्ट्रीय मतदाता दविस की थीम 'मज़बूत लोकतंत्र के लिये चुनावी साक्षरता' (Electoral Literacy for Stronger Democracy) है ।

मुख्य बदि:

- नरिवाचन आयोग द्वारा आयोजति राष्ट्रीय समारोह में भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोवदि मुख्य अतथि थे ।
- यह वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतहिस में एक महत्त्वपूरण मील का पत्थर है क्योकि इस वर्ष भारत के चुनाव आयोग ने अपनी 70 साल की यात्रा पूरी की है ।
- इस अवसर पर भारत नरिवाचन आयोग ने बैलट-2 में वशिवास (Belief in the Ballot-2) नामक पत्रकि लॉन्च की । इस पत्रकि में भारतीय चुनावों के बारे में देश भर की 101 मानव कथाएँ संकलति हैं ।
 - इसकी पहली प्रत चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति को भेंट की गई ।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा 'द सेंटेनरियन वोटर: सेंटनिल्स ऑफ डेमोक्रेसी' (The Centenarian Voters: Sentinels of Democracy) नामक एक पुस्तकि का वमोचन भी कया गया जिसमें देश भर के उन दगिगज मतदाताओं की 51 कहानियाँ हैं जिन्होंने दुरगम इलाकों, खराब स्वास्थय और अन्य चुनौतियों के बावजूद मतदान कया ।

शुरुआत

- भारत नरिवाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था । भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये नरिवाचन आयोग के स्थापना दविस पर '25 जनवरी' को वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दविस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी ।

उद्देश्य

- 'राष्ट्रीय मतदाता दविस' मनाए जाने के पीछे नरिवाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, वशिष रूप से नए मतदाता बनाना है ।
- इस दविस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता का प्रसार कया जाता है ।

आयकर अपीलीय अधकिरण

Income Tax Appellate Tribunal

हाल ही में आयकर अपीलीय अधकिरण (Income Tax Appellate Tribunal-ITAT) ने अपना 79वाँ स्थापना दविस मनाया ।

स्थापना:

- आयकर अपील अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था है जिससे वर्ष 1941 में आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5A के तहत स्थापति कया गया था ।
- शुरुआत में इसकी तीन बेंच दलिली, कोलकाता (कलकत्ता) और मुंबई (बॉम्बे) में थी कति वर्तमान में इसकी लगभग सभी शहरों को कवर करने वाले 27 वभिनिन स्टेशनों पर 63 बेंच हैं ।
- इसको 'मदर ट्रिब्यूनल' भी कहा जाता है जो देश का सबसे पुराना अधिकरण है ।

कार्य:

- यह प्रत्यक्ष कर अधिनियम जैसे- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत की गई अपील से संबंधित सुनवाई करता है ।

इसके द्वारा दिया गया नरिणय अंतमि माना जाता है । (कति यदि दिये गए नरिणय को लेकर कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है तो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है ।)

एसटीईएम- वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणति

STEM- Science, Technology, Engineering and Mathematics

वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत) के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एसटीईएम- वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणति (STEM- Science, Technology, Engineering and Mathematics) में महिलाओं की भूमिका पर एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दलिली में कया ।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य वजिज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को करियर बनाने के लिये STEM क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है ।

थीम:

- इस शिखर सम्मेलन की थीम भविष्य की कल्पना: नई स्काईलाइंस (Visualizing the Future: New Skylines) है ।

मुख्य बदि:

- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एसटीईएम के क्षेत्र में विश्व भर की सफल महिलाओं, जनिमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और पुरस्कृत महिलाएँ शामिल हैं, से अवगत करवाना था ।

एसटीईएम (वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणति): यह 4 वशिष्ट वषियों (वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणति) में छात्रों को शक्ति करने पर आधारति पाठ्यक्रम है ।

- एक मज़बूत एसटीईएम के तहत प्रदान की जाने वाली शक्ति महत्त्वपूर्ण वचिकारकों, समस्या-समाधानकर्त्ताओं और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तनकर्त्ताओं का नरिमाण करती है ।
- भारत उन देशों में से एक है जहाँ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सबसे अधिक संख्या है ।
- गौरतलब है कि एसटीईएम का विकास पछिले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है ।
- नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों में 80% नौकरियों में गणति एवं वजिज्ञान के कौशल की आवश्यकता होगी ।
- भारत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रतभि होने के बावजूद परीक्षा-केंदरति शक्ति मॉडल के कारण कुछ ही छात्रों में नवाचार, समस्या का समाधान करना और रचनात्मकता का विकास हो पाया है ।
- भारत के संवधान में अनुच्छेद 51A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के साथ विकास करें ।